



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-43498 वर्ष 2024

जय प्रकाश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज सत्संगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: भरत सिंह, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. श्री अरविंद कुमार साहू, अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आवेदक के अधिवक्ता, श्री भरत सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और सुश्री इफरा इस्लाम, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-128 वर्ष 2023 में धारा 302, 147, 504, 506 भ०द०वि०, थाना बिनावर, जिला: बदायूं के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, लेकिन बाद में, सूचनाकर्ता ने कहा है कि आवेदक ने मृतक पर नुकीली सरिया से हमला किया था और उसे मुख्य हमलावर बताया गया है। इसके बाद,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसी सूचनाकर्ता की अदालत में अ०सा०-1 के रूप में जांच की गई है, जिसने सभी आरोपी व्यक्तियों को सामान्य और सर्वव्यापी भूमिका सौंपी है। बल्कि, उन्होंने कहा है कि सरिया को आवेदक सहित कुल चार आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया था। चूंकि सह-आरोपी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत का हकदार है।

5. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक 15.5.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्सम्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक के अधिवक्ताओं के आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे गवाहों की जिरह में देरी करते रहे हैं। गवाह 29.1.2024 से अदालत में मौजूद थे और आरोपी के अधिवक्ताओं के स्थगन पर जिरह पूरी नहीं हो सकी।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की थी। दिनांक 28.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष के गवाह अ०सा०-1 से तीन तारीखों के लिए जिरह की गई, अ०सा०-2 से दो तारीखों के लिए जिरह की गई और अ०सा०-3 से पांच तारीखों के लिए जिरह की गई। उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि विलंब, यदि कोई हो, अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को मृतक पर हमला करने की भूमिका सौंपी गई है और गवाहों की जिरह में देरी को अभियोजन पक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.